







न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं. 81/24	धारा अंतर्गत 188 RTA	ग्राम उदपुरिया	तहसील छबडा
वादी जाफिर खान	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी राधेश्याम	
वकील :- दिनांक	श्री टीकमचन्द ढोडरिया	आदेश पत्रक	वकील:- इनामुल हक
	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ

09.07.2024	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.08.2024 को पेश हो। 	
12.8.24	पत्रावली पेश हुई वकील नबी उमर जहाँ की गप की ओर है श्री हेमन्त मरीक एड. का वकालतनामा पेश हुआ। पत्रावली का जवाब दिनांक 17.9.24 को पेश है। 	
17.9.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.10.24 को पेश हो।  सेडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा (बारा)	
21.10.24	पत्रावली पेश हुई नकुलाल करीकेत उमर जहाँ पेश की हुआ लक्ष्मण चाहे है पत्रावली का जवाब दिनांक 27-11-24 को पेश है। 	
27-11-24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13.1.25 को पेश हो।  सेडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा (बारा)	
13.1.25	पत्रावली पेश हुई नकुलाल करीकेत उमर जहाँ पेश की हुआ। लक्ष्मण चाहे है। पत्रावली का जवाब दिनांक 11.2.25 को पेश है। 	

81/24

...

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक 11-2-25

पत्रावली पेश हुई। क्लकलाप करीको उपर उक्त जवाब पेश नहीं हुआ। समय-माहने में पत्रावली काठि जवाब दिनांक 25-3-25 को पेश हो।

दिनांक 25-3-25

पत्रावली पेश हुई। क्लकलाप करीको उप. करी में कमीश काठि न कमीश स्वयं काठि को भी न कर उताकाज लगनाच गरी कावगत प्रपना के -मापा. के उप. नही. में कर. काठि का काड कडा अगरी कडा परी के कोरक सिपा जाल। में पत्रावली में कल अंगर एकल काड नामीअ तकमीअ के इच्छिअ इमरल हो।